प्रेस नोट *जनपद संतकबीरनगर* *दिनाँक 29.08.2026*

दबिश के दौरान 03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना महुली पुलिस** द्वारा वारण्टी नाम पता 01. जहीर पुत्र शमीम उर्फ कैदुल 02. अमीर पुत्र मो0 शमीम पुत्र कैदुल 03. मो0 शमीम उर्फ कैदुल पुत्र सज्जाद निवासी भगवानपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 राहुल यादव, का0 छोटेलाल।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 501 वाहनों से 06,48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 29.08.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 501 वाहनों से 06,48,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 27.08.2026 को माननीय न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ ऐ0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादी मुकदमा बुद्धिलाल पुत्र श्री रामशरण निवासी डुहवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर अभियुक्त विशुन हरिजन पुत्र श्री रामबली निवासी डुहवा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध गोकशी करने के उद्देश्य से गाय मारते पीटते व दौड़ते हुए ले जाने के संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उ0नि0 श्री बद्री प्रसाद कनौजिया द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 73/2004 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दोषसिद्धी के आधार पर उक्त प्रकरण में जेल में बिताई गयी अवधि व 4050 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 29.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 740/2026 धारा 137(2)/87/64(1),62 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को नौरंगिया तिराहा से निरुद्ध कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 11.08.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की नाबालिग पुत्री के अपहरण व दुष्कर्म करने के मामले में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त बाल अपचारी को आज दिनांक 29.08.2026 को निरुद्ध कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

निरुद्ध करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री राभवन गुप्ता, हे0का0 अनुराग मौर्या।